

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :- हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण संख्या:- 09/24

दाखल दिनांक:- 29.01.2024

जीसीएमएस नं. 2024/14

उनवान

रंगी पुत्र पांच्या जाति मीना निवासी मौठियापुरा तहसील हिण्डौन जिला करौली
राजस्थान

—वादी

बनाम

रामकली बेवा घर्मे बेवा जाति मीना निवासी मौठियापुर तहसील हिण्डौन जिला
करौली राज0

—प्रतिवादीगण-16

दावा बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक:- 23-7-24

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 188 के तहत दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में वादीगण एवं वादीगण वकील आज दिनांक को उपस्थित नहीं प्रकरण में बार-बार वादीगण एवं वादीगण वकील को आवाज दिलवाई गयी आवाज दिलवाने के बाबजूद वादीगण एवं वादीगण वकील उपस्थित नहीं। प्रकरण दिनांक 19.02.2024 से आज दिनांक तक तलवाना में विचाराधीन है। जिससे जाहिर होता है कि वादीगण एवं वादीगण वकील प्रकरण को आगे चलाने में रूचि नहीं ले रहे है। वादीगण एवं वादीगण वकील द्वारा न्यायालय आदेशों की अवहेलना की जा रही है। अतः मुकदमा न0 09/24 रंगीलाल बनाम रामकली आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के तहत अदम हाजिरी व अदम तकमील/पालना में खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 23.07.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।


(हेमराज गुर्जर)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला करौली